

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 25.5/2026

संख्या-12/निजी-7072/2024 सा0प्र0- 9249 /श्रीमती नीतू कुमारी, बि0प्र0से0 (को0क्र0-958/26), विशेष कार्य पदाधिकारी, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को गर्भपात हो जाने के कारण बिहार सेवा संहिता के नियम-220 (घ) टिप्पणी-1 के तहत दिनांक-07.05.2026 से दिनांक-17.06.2026 तक कुल-42 दिनों (कुल-6 सप्ताह) की प्रसव-छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Jm
25.5.26

(उमेश प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-7072/2024 सा0प्र0- 9249 /पटना, दिनांक-25.5/2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती नीतू कुमारी, बि0प्र0से0 (को0क्र0-958/26), विशेष कार्य पदाधिकारी, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jm
25.5.26

सरकार के अवर सचिव।